संख्या-70/2023/001-1483-23-12-2023- 23-12-2-2023

प्रेषक,

शरद सक्सेना,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 13 दिसम्बर, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति के 03 चालू कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1),लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0 के पत्र सं0-6662/सीई-एचक्यू1/आईएनबी/इण्डो/2023-24, दिनांक 27.10.2023 एवं पत्र सं0-6751/सीई-एचक्यू1/आईएनबी/इण्डो/2023-24, दिनांक 02.11.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना अन्तर्गत 03 चालू कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 1322.00 लाख (रू0 तेरह करोड़ बाईस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	खण्ड का नाम	उ0प्र0 शासन का पत्रांक	संशोधित स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	प्रावैधिक स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्यों की लागत में बचत	प्रारम्भ से 31.03.23 तक क्रमिक व्यय	01.04.23 को अवशेष धनराशि प्रावैधिक स्वीकृति के सापेक्ष	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक आवंटन	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मांग (+)	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जनपद पीलीभीत में बार्डर पिलर संख्या 17 ग्राम बंदरभोज से बॉर्डर पिलर संख्या 42 के शारदापुरी बाजार घाट तक 10.85 किमी0 लंबाई में आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण का कार्य।	नि0ख0-2 (इण्डो नेपाल बार्डर) पीलीभीत	शा0 सं0-1683/23-12-2013-1263 (भूमि)/2013 दि0 22.11.2013 एवं शा0 सं0-06/2022/844/23-12-2021-1263 (भूमि)/2013 दिनांक 10.02.2022	523.330	523.330	0.000	87.330	436.00	0.000	50.000	50.000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	जनपद बहराईच में रूपईडीहा-मुंशीपुरवा से बी0ओ0पी0 समतलिया तक (वास्तविक लंबाई 17.96 किमी0/भूमि अध्याप्ति की वास्तविक लंबाई 16.110) तक लम्बी फारेस्ट बलई गांव से चितलहवां तक (लंबाई 16.80 कि0मी0) वन्य जीव क्षेत्र के बीच पड़ने वाली राजस्व भूमि (लंबाई 7.095 कि0मी) एवं कुल लंबाई 40.005 किमी0 का भूमि अधिग्रहण का कार्य	नि0ख0-3 (इण्डो नेपाल बार्डर) बहराईच	शा0 सं0-1682/23-12-2013-1291/2013(आर) दि0 22.11.2013 एवं पुन0 शा0सं0-05/ 2020/302/23-12-2022-ईएफ-747/ 2020 दि0 10.02.2022	3674.740	3674.740	0.000	1519.710	1915.030	240.000	500.000	500.000
3	इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में मलगहिया- हरवंशपुर मार्ग का भाग के निर्माण कार्य (अटहवांघाट से पकहरिवां वाया भुसौला हरवंशपुर करामनी रामनगर ककहरवा धनबढवा) के भूमि अध्याप्ति का कार्य।	नि0ख0-2 (इ0ने0 बा0) सिद्धार्थ नगर	1682/23-12-2013-1291/2013 (आर) दि0 22.11.2013 एवं पुन0शा0 सं0-34/2018/726/23-12-18-1263 (भूमि) /2013, दि0-25.05.18	19986.180	19986.180	0.000	17567.250	2118.930	300.000	772.000	772.000
									योग-	**1322.** 00	**1322.** 00

(1) अवमुक्त धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि द्विरावृत्ति न हो।

(4) प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) वित्त विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त कार्यों के स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) आवंटित की जा रही धनराशि का उपभोग शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में उक्त 03 कार्यों हेतु होने वाला व्यय रू0 13,22,00,000(रू0 तेरह करोड़ बाईस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक-5054043370600 इन्डो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव।

सं0-70/2023/001-1483(1)-23-12-2023- 23-12-2-2023तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें ।
5. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सड़क) लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता(मु0-1)/मुख्य अभियन्ता इण्डो-नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. लोक निर्माण अनु0-10
10. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
12. डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in